कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 16.06.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-37 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. प्रेम कुमार पुत्र चौहान प्रसाद नि0 ग्राम गद्दौपुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-238/22, 02. परशुराम पुत्र ननकऊ निवासी ग्राम रायपुर माझा थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-239/22, 03. अमरेश पुत्र राजेंदर निवासी ग्राम बेहटा थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-240/22 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सलमान पुत्र जमील निवासी ग्राम बरौलीडीहा थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-102/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती फूलमती पत्नी स्व0 ओमकार नि0 ग्राम चाईटेपरा चयपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-116/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती गुड़िया पत्नी अमरेश सोनकर नि0ग्राम छाछपारा कानूनगो जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-117/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की ग

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.06.2022

मिशन शक्ति अभियान के तहत नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ संजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना को0मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना को0मनकापुर मे अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संदीप कुमार उर्फ संजय गुप्ता पुत्र श्रवन कुमार निवासी ग्राम चौबेपुर लालापुरवा थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 156/2022 धारा 363,376(3),343 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उमेश सिंह मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.06.2022

छप्पर में आग लगाने व मारपीट करने के 02 वाछिंत अभियक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान छप्पर में आग लगा देने, मारपीट करने के वांछित अभियुक्तगण-01. विजय सिंह 02. महेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 06.03.2022 को वादी बलराम सिंह का छप्पर जला दिया व गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. विजय सिंह पुत्र अलख राम सिंह निवासी शुक्ल पुरवा डिडिसिया कला थाना तरबगंज गोण्डा
02. महेश सिंह पुत्र स्व0 कन्हैया सिंह निवासी शुक्ल पुरवा डिडिसिया कला थाना तरबगंज गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 72/2022 धारा 436/504/506/427 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 कामेश्वर राय मय टीम।

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 16.06.2022

वाहनो से डीजल चोरी करने वाले गैंग का भण्डाफोड़03 , शातिर पेशेवर अभियुक्त अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तारडीजल व फर्जी नम्बर 0ली 490 डीजल चोरी करने के उपकरण व चोरी का , प्लेट लगी स्कार्पियों व जायलो कार बरामद।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत शातिरथानाध्यक्षों को /वांछित अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/ कड़े निर्देश दिए थे। जिसके तहत थानाकोतवाली नगर पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है।

थाना कोतवाली नगर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने शातिर पेश 03ेवर डीजल चोरो को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से घटना में प्रयुक्त 01 ,प्लास्टिक के जरिकेन 7 प्लास्टिक के ड्रम में ,लीटर चोरी का डीजल 490 02अदद पेचकस 02 ,एक अदद रिंच ,अदद कटर 01 ,अदद पाना 01 ,अदद प्लास्टिक के पाइप 01 ,अदद तेल निकालने की मशीन मय पाइप 02 ,अदद अवैध तमंचा 03 बोर मय 12 अदद जिन्दा कारतूस01 , अदद फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई स्कार्पियों01 , अदद जायलो कार बरामद हुआ है।

अपराध करने का तरीकाः-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि ये लोग हाइवे के किनारे ढाबो के पास ,खड़े वाहनों का डीजल चोरी करते है तथा स्कार्पियों व जायलो गाडी में रखे ड्रम में डीजलों को इक्कठा करते है तथा चोरी के डीजल को दूर दराज ले जाकर कम मूल्य में बेच देते है तथा जौ पैसा मिलता उसे ये लोग आपस में वांट लेते है तथा अपने पास असलहा भी रखते है की यदि डीजल चोरी करते समय कोई व्यक्ति इन्हे देख ले तो यही असलहा दिखाकर डरा देते है । तथा पूछताछ में यह भी बताया की अधिकतर ये लोग हाईवे के किनारे व ढाबों के पास खड़े बड़े वाहनों की टंकी का ठक्कन पेचकसरिंच , आदि की मदद से तोड़ कर छोटी जरिकैन में पाइप की मदद से डीजल निकाल लेते है। तथा अपनी गाडी में कूटरचित नम्बर प्लेट इसलिए लगाते है कि यदि कोई गाडी नम्बर नोट भी कर ले तो ये पकड़े न जा सके।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

.01राजेश तिवारी पुत्र मिश्रीलाला तिवारी निवासी ठाकुर पुरवा खोरहंस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा

.02सोनू तिवारी पुत्र ननकऊ तिवारी निवासी ठाकुरपरवा खोरहंस थाना कोदेहात जनपद गोण्डा0

.03मातादीन दीक्षित पुत्र रामसजन दीक्षित निवासी दीक्षितपुरवा मगहरिया दुबहाबाजार थाना कौडियाजनपद गोण्डा ,

पंजीकृत अभियोगः-

.01मु।नगर गोण्डा0भादवि थाना को 419ए420ए467ए468ए471 ,411 ,379 धारा 22/389 0स0अ0

.02मुनगर गोण्डा ।0आर्मस एक्ट थाना को 25/3 धारा 22/390 0स0अ0

.03मुनगर गोण्डा ।0आर्मस एक्ट थाना को 25/3 धारा 22/391 0स0अ0

बरामदगीः-

लीटर चोरी के डीजल 490 प्लास्टिक के ट्रम में 01 प्लास्टिक के जरिकेन व 7 .01

01 ,अदद पेचकस 02 .02अदद कटर 01 ,अदद पाना 01 ,अदद रिंचअदद प्लास्टिक के पाइप 02 ,

अदद तेल निकालने के मशीन मय पाइप 01 .03

02 .04अदद अवैध तमंचा 03 बोर मय 12 अदद जिन्दा कारतूस।

.05एक अदद फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई स्कार्पियों वाहन

.06एक अदद जायलो वाहन

गिरफ्तारकर्ता टीम

.01प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर